
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर—(उ०प्र०)



प्रशासकीय परिषद की दसवीं बैठक का कार्यवृत्त (बाई सर्कूलेशन)

🕨 बैठक संख्या

दसवीं

> दिनांक

सितम्बर, 2020

Page 1 of 4

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बिजनौर की प्रशासकीय परिषद की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजकीय इंजीनियरिंग वळॅलेज, बिजनौर की प्रशासकीय परिषद की सितम्बर, 2020 की 10वीं बैठक का एजेन्डा बिन्दु प्रशासकीय परिषद के निम्नलिखित सदस्यों को बाई सर्कूलेशन के माध्यम से प्रेषित किया गया:—

01 श्री कुलदीप जैन, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासकीय परिषद, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर।

अध्यक्ष

02 श्रीमती एस. राधा चौहान अपर मुख्य सचिव महोदया, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

उपाध्यक्ष

03 प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सदस्य

04 प्रो. अजय सिंह जेटू, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एम,एन,आई.टी, जयपुर। सदस्य

05 प्रो० के० एस० वर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, के०एन०आई०टी०, सुल्तानपुर। सदस्य

Page 2 of 4

सदस्य

प्रो० बी०के०त्रिपाठी
निदेशक,
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,
बिजनौर।

सदस्य सचिव

प्रशासकीय परिषद की 10वीं बैठक की बाई सर्कूलेशन प्रेषित एजेण्डा बिन्दुओं मे मात्र एक बिन्दु, मद संख्या—10.1, का रखा गया। यह बिन्दु संस्थान के टेक्किप पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत टिक्विप—III परियोजना के कार्यो एवं उन पर अब तक किये गये व्ययों से सम्बन्धित है। इस योजना मे संचालित निम्नलिखित कार्यो एवं उन पर हुए व्ययों की प्रशासकीय परिषद को अवगत कराते हुए इस कार्योत्तर स्वीकृति मांगी गई:—

10.01.01— तकनीकी शिक्षा के उच्चीकरण हेतु, पूर्व में बी0ओ0जी0 में अनुमोदित उपकरणों के क्रय के लिये, प्रोक्योरमेन्ट मद में रू 18,57,651 / — व्यय किये गये। 10.01.02— तकनीकी शिक्षा के उच्चीकरण हेतु टिक्विप द्वारा प्रदत्त सहायक आचार्यों (फैंकल्टी मद) की सैलरी पर व्यय रू 2,88,400 / — किये गये।

10.01.03 —तकनीकी शिक्षा के उच्चीकरण हेतु आपरेटिंग कास्ट एवं स्टाफ सैलरी मद में रू 43,256/— व्यय किये गये।

10.01.04— तकनीकी शिक्षा के उच्चीकरण हेतु सम्पन्न विभिन्न आनलाइन एकेडेमिक गतिविधियों पर रू8,84,119/— व्यय किये गये। प्रशासकीय परिषद उपरोक्त कार्यो एवं उस पर किये गये व्ययों से अवगत होते हुये इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गई कि इन कार्यो एवं उन पर किये गये व्ययों में क्रय नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-2 पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो । किसी भी कार्य की द्विरावृत्ति न की जाय और भविष्य में इन कार्यो का किसी अन्य योजना से वित्त पोषण न कराया जाय। टिक्विप-III परियोजना के अन्तर्गत किये कार्यो और उन पर हुए व्ययों पर टेक्किप-तृतीय के नियमानुसार SPIU/NPIU द्वारा निरीक्षण/आडिट कराया जाता हैं।

(प्रो0 बी०के० त्रिपाठी) निदेशक एवं

सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर। (श्री कुलदीप जैन)

अध्यक्ष.

प्रशासकीय परिषद, रा.इ.का., बिजनौर।